

प्रकाश

नीता चौधरी,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 20 मार्च 2023।
विषय- उत्तर प्रदेश सोनमधु के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत में 0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट पर 132 हेक्टरों की विस्तृत परीक्षण साईट के बचती जाति लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर ही गयी 6.394 हे0 आरक्षित वनभूमि की नीज को पुनः 25 वर्षों हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में। (परस्ताव संख्या-एफपी/ट्रांस/140402/2021)

संदर्भ- प्रस्तुत सिध्दक अपने पत्रांक-2272/11-सी-एफपी/ट्रांस/140402/2021 दिनांक 09.01.2023 पर सूचना सन्दर्भें मांग करी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कथने का निर्देश हुआ है कि दिखवात प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्न कर्मियों का भी यह है -

1. प्रस्ताव के पृष्ठ-2 पर उल्लिखित वनभूमि का स्वामित्व किराया है ?
2. प्रस्ताव के पृष्ठ-23 पर उल्लिखित मूल हिण्डालको वनभूमि अनुमत्य न होने कारण उदात्त अलग-अलग आवधि में दिख गया है ? स्पष्ट किया जाय।
3. प्रस्तावित परियोजना में सम्बन्धित वन भूमि किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पत्र/वचनमददात सतम्न लगी है। क्या सम्बन्धित वन भूमि में लगी किये जानेगा है। कारण बतायें ?
4. दिखवात परमाणु पैस उल्लिखित उदात्त किराया क्या है ?
5. वन (संरक्षण) विभाग 2022 के परिधिपत्रों के अनुसार प्रस्ताव की पूर्णता की जाय हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 को ए0 वन के कार्यालय-आप संख्या-3261/81-2-2022-600(60)/2000 दिनांक 10.01.2023 द्वारा गठित समिति राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट स्वीजिल कमेटी (PSC) के अनुमोदनोपरान्त प्रामाण्य कराया जाय।
6. प्रस्ताव के पृष्ठ-22 पर उल्लिखित प्रस्ताव वन भूभागीय क्लेअरिफिकरी द्वारा प्रस्तावित लगी है ?
7. प्रस्ताव में परिशिष्टता की केन्दी परीक्षण साईट ली है, परन्तु कितनी सीमा तक लोतिमर माना जाय ? स्पष्ट किया जाय।

सूचना उपरोक्तनुसार सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का यह करी।

शुभदीय,

(नीता चौधरी)
उप सचिव।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक-3033/11-सी-FP/UP/Trans/140402/2021, लखनऊ, दिनांक: मार्च 23 2023

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट-होनमधु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।
